न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) कुरूद, जिला–धमतरी(छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/ 1828 /अविअ/वा.–1/2025

कुरूद, दिनांक 11/07/2025

रा.प्र.क. 202507130500019/अ–62/2024–25

वन विभाग धमतरी का पत्र क्रमांक/राजस्व/आर/2913 धमतरी, दिनांक 29/05/2024 एवं राजस्व विभाग का पत्र क्रमांक/139/तह./वाचक–2/2024 मगरलोड, दिनांक 25/06/2024 के अनुसार आवेदिका अनुसुईया बाई पति कमल राम साहू, जाति तेली, निवासी ग्राम तेन्दूभाठा, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी द्वारा काश्तग्राम तेन्दूभाठा, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 863, 873, 930 रकबा क्रमशः 0.40, 0.06,1.01 हे. में रोपित 260 नग सागौन प्रजाति के विदोहन योग्य गोलाई वृक्षों को छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 प्रकरण वृक्ष कटाई नियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत परीक्षण पश्चात् निम्न शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :–

1–वृक्ष की कटाई वन मण्डलाधिकारी द्वारा नामजद अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष कटाई जायेगी तथा आसपास की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जावेगा।

2–वृक्ष की कटाई केवल उक्त भूमि पर रोपित वृक्षों तक सीमित रहेगी स्वाभाविक रूप से उगे वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

3–कांटे गये प्रत्येक एक–एक वृक्षों के बदले 10–10 कुल (कम से कम 4 फीट की उंचाई वाले) जिस स्थान से वृक्ष कांटी जावेगी के नजदीक उपयुक्त स्थान पर वृक्ष लगाया जावेगा, यदि नजदीक में उपयुक्त स्थान नहीं मिलने पर वन विभाग द्वारा बतलाये गये स्थान पर लगाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।

4–अनुमति दिनांक से वन विभाग अपने सुपुर्द में लेकर तत्काल आगामी आवश्यक कार्यवाही करेंगे, ताकि अनुमति पश्चात् वृक्षों का अवैध विदोहन न हो सके।

5–यदि आवेदित वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्षों की अवैध कटाई की जाती है तो उनके विरूद्ध इस कार्यालय को सूचित करेंगे, ताकि उनके ऊपर अर्थदण्ड अधिरोपित की जा सके।

(यह अनुमति प्रचलित परिपत्र एवं शासन के वर्तमान निर्देश के परिपालन में दी जाती है।)

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
कुरूद, जिला–धमतरी

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक/ 1829 /अविअ/वा.–1/2025

कुरूद, दिनांक 11/07/2025

प्रतिलिपिः–

1. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल धमतरी को आदेश तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित्।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
3. तहसीलदार मगरलोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
4. आवेदिका अनुसुईया बाई पति कमल राम साहू, जाति तेली, ग्राम तेन्दूभाठा, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत तेन्दूभाठा, विकास खण्ड मगरलोड, जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
कुरूद, जिला–धमतरी

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)